1

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन प्लाट न.27–28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल
Website]www]mp Gov.in pwd mp Emai:-pwd Bhopal@ mp.in.Phone -055-2551485

पत्र क्र.412 / परिपत्र / संचार / 2016 / 2372 भोपाल दिनांक 25/7/16

प्रति,

1 समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
............परिक्षेत्र ....

2 समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
............मंडल..............

3 समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
...........संभाग ....

विषय :– अतिविशिष्ट / विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र.शासन लो.नि.वि.मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 3803 / 3880 / 2016 / 19 / यो दिनांक 5.7.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय सहपत्रों के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संदर्भित पत्र के साथ संलग्न विशेष शाखा म.प्र.भोपाल के पत्र दिनांक 8.6.2016 के बिन्दु क्रमांक –2 के अंतर्गत व्ही.व्ही.आई.पी.भ्रमण के दौरान सुरक्षित एवं मजबूत वेरीकेटिंग लगाई जाना सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम स्थल पर होने वाले समस्त निर्माण कार्यो का एक पी.ई.आर.टी. चार्ट बनाये जाने व इसकी प्रगति प्रतिवेदन मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले (कार्यक्षेत्र) के कार्यपालन यंत्री (भ / स) संभाग लोक निर्माण विभाग को सोपी जाती है।

कृपया निर्देश का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता (पी / ब)
कार्यालय / प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

पत्र क्र.412 / परिपत्र / संचार / 2016 / 2373 भोपाल दिनांक 25/7/16

प्रतिलिपिः–

सचिव म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर शासन के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता (पी / ब)
कार्यालय / प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

25/7/16

urmila sunal

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 3809 / 3880 / 2016 / 19 / यो   भोपाल, दिनांक 05/07/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

विषयः अतिविशिष्ट / विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भः म0प्र0 शासन गृह विभाग का पत्र क. 2862 / 3196 / 2016 / दो / सी–1 भोपाल दिनांक 25.06.2016

——0——

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय सहपत्र के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कृपया निर्देशानुसार उक्त विषय के संबंध में अभिमत एवं टीप एक सप्ताह में तत्काल शासन को भिजवाने हेतु अनुरोध है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

04/07/2016
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

301
CE P
11/7/16
12.07.16
12/07/16
12/7/16

कार्यालय प्रमुख अभियंता
आ. क्र. 22788
12/7/16

R-2207
13/7/16

04-Jul-2016/S.K.Patidar/2016/Hindi Letter 372

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक- 2862 /3196/2016/दो/सी-1 भोपाल, दिनांक-25/6/2016
प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   म0प्र0 शासन,
   लोक निर्माण विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल।

2. कलेक्टर,
   जिला-इंदौर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, कानून/व्यवस्था एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र क0-विशा/5/टूर/2016-16 (3042), दि0-08.06.2016 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि प्रकरण के संबंध में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर अपना अभिमत/टीप अविलंब इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

(जे0एल0 छुगानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

25 JUN 2016

क्रमांक 3880
दिनांक 30.06.16
लोक निर्माण विभाग (योजना)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

CL01593

(1)

<u>गोपनीय</u>

विशेष शाखा : मध्य प्रदेश, भोपाल।

क्रमांक–विशा/5/टूर/2016–16 (3042) दिनांक 08/06/2016

प्रति,

श्री डी0पी0 गुप्ता,
सचिव,
गृह विभाग,
म0प्र0 शासन,
मंत्रालय, वल्लभभवन भोपाल।

1573/SH(P)/16 10/6/16
1561/DS(SS) 10/6/16
3176 15/06/16
DS(S) 9/6/16

विषय :- अति विशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में ।

:::

1– दिनांक 14.04.2016 को श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का इंदौर (ट्रांजिट) एवं महू जिला इंदौर भ्रमण के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था में निम्नांकित त्रुटियां प्रकाश में आई है :–

- सुरक्षा व्यवस्था हेतु बनाये जा रहे बेरिकेट्स कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण होकर कार्यक्रम प्रारंभ होने तक पूर्ण नही हो पाये थे।
- बेरिकेटिंग का कार्य पीडब्ल्यू.डी. के स्थानीय इंजीनियर पर निर्भर रहता है और वे पर्याप्त संसाधन व मानव संसाधनों से परिपूर्ण नही रहते हैं।
- उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 78 गणमान्य नागरिकों को 'डी' में प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत हेतु अनुमोदित किया गया था। 'डी' के प्रवेश बिन्दु पर डीएफएमडी द्वारा चैक होने एवं एसपीजी द्वारा नामों की सूची से मिलान होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था, पर इसमें काफी समय लग रहा था।

U.S. (C) 2/6/16

2– अति विशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान भविष्य में उपरोक्त त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही प्रस्तावित है :–

- व्हीव्हीआईपी भ्रमण के दौरान सुरक्षित एवं मजबूत बेरिकेटिंग लगाया जाना सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पीडब्ल्यू.डी के अधिकारियों को

...2

10/6/16

जिम्मेदारी सौंपी जाना चाहिये। ताकि उक्त कार्य को समय पूर्व कराकर पुलिस अधिकारियों को सौंपा जा सके।

➢ कार्यक्रम स्थल होने वाले समस्त निर्माण कार्यो का एक **P.E.R.T** चार्ट **E.E. P.W.D.** द्वारा बनाया जावे। इसकी प्रगति प्रतिदिन **Monitor** की जावे, जिसमें पूर्ण हुये कार्य व शेष कार्य संसाधन व गतिरोध का उल्लेख हो। इसे जिले के पुलिस अधीक्षक/ जिला दण्डाधिकारी/ गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग को भेजा जावे, जिससे वे समय रहते हस्तक्षेप कर सकें।

➢ विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत हेतु अनुमोदित व्यक्तियों की नामावली को अल्फाबेटिकली बनाया जावे। ताकि नामों के मिलान में समय न लगे। इस प्रकार की सूची को एसपीजी को समय पर दे देना चाहिये। ताकि मूल सूची से वे मिलान कर सके।

3— कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के कियान्वयन हेतु शासन स्तर पर समस्त जिला दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

पुलिस महानिरीक्षक,
का./व्य. एवं सुरक्षा, म.प्र., भोपाल।